

खास-खबरें

इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है कॉंकरोच जनता पार्टी

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: कॉंकरोच जनता पार्टी ने एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली का समर्थन किया है। पार्टी नेता आशुतोष रांका ने कहा कि समर्थक रैली में शामिल हो सकते हैं। पार्टी ने गठबंधन में शामिल होने की संभावना पर कार्यकर्ताओं से सुझाव भी मांगे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को छत्र संगठनों से दिल्ली मार्च में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि पुलिस कार्रवाई से घबराने की जरूरत नहीं है। रैली की तैयारियों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर गठबंधन नेताओं की बैठक हुई। दोनों संगठन मतदाता सूची से नाम हटाने और विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। वे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं।

आर्थिक तंगी से तीन भाई-बहनों ने दी जान

नईदुनिया ब्यूरो, पालघर: महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक परिवार के तीन भाई-बहनों की मौत का मामला सामने आया है। प्रारंभिक जांचकारी के अनुसार, परिवार आर्थिक तंगी से जुड़ा रहा था और कैसर के इलाज का खर्च उठाने में परेशानी हो रही थी। बताया गया है कि तीनों ने चूहे मारने की दवा खा ली थी।

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

शत-प्रतिशत एथेनॉल से चलने वाले वाहनों को ईंधन कैसे मिलेगा?

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र सरकार से पूछा कि शत-प्रतिशत एथेनॉल से चलने वाले वाहनों को अनुमति मिलने के बाद उनके लिए ईंधन की आपूर्ति कैसे सुनिश्चित की जाएगी। केंद्र की ओर से महान्यायादी आर. वैंकटरमणी ने कहा कि इसके लिए विनिर्माण व्यवस्था में बड़े पैमाने पर बदलाव करने होंगे। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2025-26 से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने हाल की समाचार रिपोर्टों का उल्लेख करते हुए

साइबर ठगी रोकने में बैंक की जिम्मेदारी तय हो: सुप्रीम कोर्ट

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने डिजिटल गिरफ्तारी के नाम पर हो रही साइबर ठगी के बढ़ते मामले पर चिंता जताई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि यदि बैंक की लापरवाही के कारण किसी व्यक्ति के साथ ठगी होती है, तो जिम्मेदारी तय होने पर बैंक को पीड़ित को मुआजा देना चाहिए। हालांकि, यह सुझाव है, अंतिम आदेश नहीं। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सवाल उठाया कि जागरूकता अभियान और लगातार चेतावनियों के बावजूद शिक्षित लोग भी ऐसे अपराधों का शिकार क्यों हो रहे हैं। अदालत ने कहा कि केवल घटना के बाद जांच करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि ठगी रोकने के लिए पहले से प्रभावी व्यवस्था जरूरी है। न्यायालय ने संदिग्ध बैंक लेन-देन की जांच

पूछा कि जब शत-प्रतिशत एथेनॉल से चलने वाले वाहनों को अनुमति दी गई है, तो उनके लिए ईंधन की उपलब्धता किस तरह सुनिश्चित होगी। 26 अक्टूबर को सड़क परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन की अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत लगभग शुद्ध एथेनॉल पर चलने वाले वाहनों को अनुमति दी गई। हालांकि, 27 अक्टूबर को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि सरकार की फिलहाल पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को 20 प्रतिशत से आगे बढ़ाने की तत्काल योजना नहीं है।

मामले की सुनवाई एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2025-26 के आवंटन से संबंधित विवाद के बीच हुई। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस निर्देश पर रोक नहीं लगाई थी, जिसमें एथेनॉल आवंटन बढ़ाने की मांग पर विचार करने को कहा गया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि

सरकार की नीति के तहत स्थापित समर्पित एथेनॉल संयंत्रों को तेल कंपनियों के साथ हुए दीर्घकालीन समझौतों में तय प्राथमिकता वाले आवंटन का लाभ देने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई अगले महीने तय की है।

करने और आवश्यकता पड़ने पर उसे अस्थायी रूप से रोकने की व्यवस्था पर भी विचार करने को कहा। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक से प्रस्तावित ग्राहक पहचान संबंधी नियमों की समीक्षा करने और अधिकृत वित्तीय संस्थानों की सूची प्रस्तुत करने को कहा। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2026 में अब तक डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़े 22 हजार से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। इन मामलों में 800 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी हुई। वर्ष 2025 में ऐसे 58,239 मामले सामने आए थे और लगभग 1,211 करोड़ रुपये की ठगी हुई थी। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता एनएस नर्मिषाई ने बताया कि हाल ही में एक महिला से डिजिटल गिरफ्तारी के नाम पर 2.5 करोड़ रुपये ठग लिए गए।

प्रधानमंत्री मोदी आज व कल गुजरात दौरे पर

राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में लेंगे भाग

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 30 और 31 अक्टूबर को गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह बनासकांठा में 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। साथ ही



अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा सड़क, कृषि भंडारण, खाद्य प्रसंस्करण और बाल-अनुकूल आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़ी परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती पर राष्ट्रीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त के रूप में लगभग 19 हजार करोड़ रुपये जारी करेंगे। प्रधानमंत्री एकतानगर में भारत पर्व 2026 का उद्घाटन करेंगे और एकता प्रकाश पर्व में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री बनासकांठा में भारत गोवंश प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वह दो रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाने के साथ शामिल होंगे।

अभिनेत्री सारा अली खान के खिलाफ फतवा



नईदुनिया ब्यूरो, बरेली: अभिनेत्री सारा अली खान के केदारनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करने पर मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने फतवा जारी किया है। उन्होंने कहा कि इस्लामी मान्यताओं के अनुसार किसी मुसलमान का मंदिर में पूजा-पाठ करना अनुचित है। उन्होंने अभिनेत्री से अपने कृत्य के लिए अल्लाह से माफी मांगने को कहा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना रजवी ने बताया कि कई मुस्लिम युवाओं ने उनसे इस विषय पर सवाल किए थे। इसके जवाब में उन्होंने अपना धार्मिक मत व्यक्त किया।

रिटायर्ड आईएएस रमेश थेटे गिरफ्तार, मिली जमानत

सीबीएसई दसवीं में पांच विषय अनिवार्य

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: 11.50 लाख चेक बाउंस के मामले में नागपुर से गिरफ्तार किए गए सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी रमेश थेटे को गुरुवार को पुलिस ने मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कल्पना कोतवाल की अदालत में पेश किया। अदालत ने उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर दस हजार रुपये के बंधपत्र पर रिहा कर दिया। थेटे ने कोर्ट को बताया कि उनके पास जमानतदार की व्यवस्था नहीं है। अतः उन्हें मुचलके पर रिहा किया जाए। परिवारी प्रदीप रामटेके से थेटे ने 11.50 लाख रुपये उधार लिए थे। उधारी के रूपये अदा करने के लिए रमेश थेटे ने प्रदीप को 11.50 लाख रुपये का



चेक दिया था। प्रदीप ने जब भुगतान के लिए चेक अपने खाते की बैंक में जमा किया तो थेटे के खाते में पर्याप्त बैलेंस न होने से चेक बाउंस हो गया। परिवारी ने थेटे के खिलाफ चेक बाउंस का केस कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने केस दर्ज कर समंस जारी कर थेटे को न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश दिए थे,लेकिन थेटे न्यायालय में उपस्थित होने से बार-बार बच रहे थे। इस पर न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। उसके उपरांत स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। पुलिस ने थेटे को नागपुर से घेराबंदी कर हिरासत में लिया था।

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2028 की दसवीं की बोर्ड परीक्षा के लिए नया परीक्षा प्रारूप घोषित किया है। इसके तहत विद्यार्थियों के लिए पांच विषयों की परीक्षा देना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त वे एक कौशल आधारित विषय भी चुन सकेंगे। यह व्यवस्था उन विद्यार्थियों पर लागू होगी, जो शैक्षणिक सत्र 2026-27 में नौवीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। वर्तमान दसवीं के विद्यार्थियों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। बोर्ड के अनुसार, अतिरिक्त कौशल विषय विद्यार्थियों को गणित, विज्ञान या सामाजिक विज्ञान में असफल होने की स्थिति में परीक्षा उत्तीर्ण करने में मदद कर सकता है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि अंतरविषयक क्षेत्र, संगणनात्मक चिंतन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अध्ययन खंड परीक्षा योजना में शामिल नहीं होंगे। बोर्ड की शैक्षणिक निदेशक प्रज्ञा एम. सिंह ने बताया कि 2028 की दसवीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य होगी।

रात 8:58 बजे दिखा चांद, बादलों ने कराया कटवा चौथ का इंतजार



भोपाल: सुहागिनों का प्रमुख पर्व करवा चौथ गुरुवार को श्रद्धा के साथ मनाया गया। पति की लंबी उम्र की कामना के लिए महिलाओं ने दिनभर निर्जल और निराहार व्रत रखा। शाम को पूजा के बाद महिलाओं ने चंद्रदर्शन के लिए प्रतीक्षा की। भोपाल में रात 8 बजकर 58 मिनट पर चांद दिखाई दिया, लेकिन बादलों के कारण वह कुछ ही मिनट नजर आया। प्रदेश के कई शहरों में बादलों के लिए इंतजार बढ़ाया।

यूक्रेन में रूसी ड्रोन हमला, 13 की मौत

इजराइल के चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप की आशंका, जांच के आदेश

हसीना सरकार गिरने से पहले यूनुस से मिले थे छात्र नेता

कीव, एजेंसी: यूक्रेन के निग्रो शहर में गुरुवार सुबह रूसी मानवरहित विमान ने रेलवे स्टेशन पर हमला किया। अधिकारियों के अनुसार, इस हमले में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य घायल हुए हैं। शहर के महापौर बोरिस फिलातोव ने बताया कि हमले में यात्रियों को ले जाने वाली विद्युत रेलगाड़ी को निशाना बनाया गया। यूक्रेन की संसदीय प्रदीप रामटेके से थेटे ने 11.50 लाख रुपये उधार लिए थे। उधारी के रूपये अदा करने के लिए रमेश थेटे ने प्रदीप को 11.50 लाख रुपये का



आठ महीने में 1,600 से अधिक हमले

यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रिय सिबिहा के अनुसार, वर्ष 2026 के पहले आठ महीनों में रूस ने यूक्रेन के रेल नेटवर्क पर 1,600 से अधिक हमले किए। इनमें रेलगाड़ियों, इंजनों और रेलवे से जुड़े अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। सिबिहा ने बताया कि वर्ष 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से रूस 500 से अधिक रेल इंजनों को क्षतिग्रस्त कर चुका है या नष्ट कर चुका है। इनमें आधे से अधिक घटनाएं इसी वर्ष हुई हैं। यूक्रेन में रेलवे यात्रियों के साथ आवश्यक वस्तुओं और अनाज के परिवहन का भी प्रमुख साधन है। रेलवे पर हमलों से देश की परिवहन व्यवस्था प्रभावित हो रही है।

तेल अवीव, एजेंसी: इजराइल में 27 अक्टूबर को हुए संसदीय चुनाव के दौरान विदेशी हस्तक्षेप की आशंका को लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने खुफिया एजेंसी शिन बेट को मामले की जांच सौंपी है। समाचार माध्यमों के अनुसार, एजेंसी को एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को संदेह है कि कतर और तुर्किये से इजराइल तथा पश्चिमी तट में धन भेजा गया। आशंका जताई गई है कि इस धन का इस्तेमाल अरब नागरिकों को आर्थिक सहायता देने के लिए किया गया। हालांकि, इन आरोपों की



स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। चुनाव के बाद दूसरे दिन सभी मतपत्रों की गिनती पूरी हो गई। अब केवल दोहरे लिफाफों में पड़े मतों की गिनती शेष है। प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, नेतन्याहू के गठबंधन को 53 सीटें और विपक्षी गठबंधन को 48 सीटें मिलने का अनुमान है। अरब दलों को कुल 19 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। दोनों प्रमुख गठबंधन बहुमत के आंकड़े से दूर हैं। इस बीच, चुनाव आयोग ने व्यापक धांधली के आरोपों को निराधार बताया है। आयोग के कार्यवाहक महानिदेशक डीन लिबने ने कहा कि चुनाव कानून के अनुसार कराया गया और अब तक अनियमितता के प्रमाण नहीं मिले हैं। उन्होंने मतदान केंद्रों पर निष्पक्षता बनाए रखने के लिए किए गए प्रबंधों का भी उल्लेख किया।

दाका, एजेंसी: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिरने से पहले छात्र नेताओं और मोहम्मद यूनुस के बीच मुलाकात हुई थी। अंतरिम सरकार के पूर्व प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने दावा किया है कि हसीना के देश छोड़ने से दो दिन पहले हुई इस बैठक की व्यवस्था एक विदेशी समाचार एजेंसी के पत्रकार कादरुद्दीन शिशिर ने कराई थी। आलम के अनुसार, छात्र नेता यूनुस तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। सुरक्षा एजेंसियों को इस बातचीत की जानकारी नहीं थी। हालांकि, उन्होंने बैठक का पूरा विवरण नहीं दिया और न ही यह स्पष्ट किया कि पत्रकार की भूमिका आगे की बातचीत में भी रही थी या नहीं। बांग्लादेश में वर्ष 2024 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के विरोध से छात्र आंदोलन शुरू हुआ था। बाद में यह सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया। पांच अगस्त 2024 को शेख हसीना देश छोड़कर भारत आ गई थीं। संयुक्त राष्ट्र पर्युस तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। सुरक्षा एजेंसियों को इस बातचीत की जानकारी नहीं थी। हालांकि, उन्होंने बैठक का पूरा विवरण नहीं दिया और न ही यह स्पष्ट किया कि पत्रकार की भूमिका आगे की बातचीत में भी रही थी या नहीं।

‘अर्णव’ का आंध्र प्रदेश में कहर, पांच की मौत

पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी घटकर 1.7 प्रतिशत बची

50 रेलगाड़ियां और 21 उड़ने रद्द, 16 जिलों में स्कूल बंद

नईदुनिया ब्यूरो, विशाखापत्तनम: बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान ‘अर्णव’ मंगलवार देर रात आंध्र प्रदेश के तट से टकराया। इसके साथ 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं और भारी वर्षा हुई। राज्य में पांच लोगों की मौत हुई, जबकि 31 मकानों को नुकसान पहुंचा। करीब 57 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। तूफान के कारण 50 रेलगाड़ियां और विजयवाड़ा तथा विशाखापत्तनम हवाई अड्डों से



संचालित 21 उड़नें रद्द कर दी गईं। राज्य के 13 शहरों में अचानक बाढ़ आने की चेतावनी जारी की गई है। ओडिशा में भारी वर्षा के कारण 16 जिलों में विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। यहां करीब 30 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। दोनों राज्यों में चार हजार चक्रवात आश्रय स्थल बनाए गए हैं।

विस्तृत खबर पेज 10 पर..

हिंसा, जबरन धर्म परिवर्तन और संपत्ति छिनने को बताया गया प्रमुख कारण

इस्लामाबाद, एजेंसी: पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी घटकर अब 1.7 प्रतिशत रह गई है। ब्रिटिश हिंदू संगठन इनसाइट यूके की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 1941 में आज के पाकिस्तान के क्षेत्र में हिंदुओं की आबादी 14.6 प्रतिशत थी। संगठन ने आबादी में गिरावट के पीछे हिंसा, जबरन धर्म परिवर्तन और विस्थापन को प्रमुख कारण बताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 1947 में



देश के विभाजन के दौरान और उसके बाद हुई हिंसा के कारण हजारों हिंदू परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़े। कई परिवारों की पुश्तैनी जमीन और खेत भी छिन गए। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शत्रु संपत्ति से संबंधित कानूनों के तहत संपत्तियों पर कब्जे ने हिंदू समुदाय की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया।

ब्रिटेन सरकार से छह मांगें

संगठन ने ब्रिटेन सरकार से पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। इनमें मंदिरों की सुरक्षा, धार्मिक मामलों की शीघ्र सुनवाई और ब्रिटेन की आर्थिक सहायता को मानवधिकारों में सुधार से जोड़ना शामिल है। संगठन ने ब्रिटिश उच्चायोग में अल्पसंख्यक समुदायों के दो प्रतिनिधियों को जिम्मेदारी देने, हर छह महीने में उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर रिपोर्ट जारी करने तथा जबरन धर्म परिवर्तन और धार्मिक उत्पीड़न के पीड़ितों के लिए ब्रिटेन में शरण के सुरक्षित रास्ते बनाने की मांग भी की है।

राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद को लेकर भी सवाल

पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 41 और 91 का उल्लेख किया गया है। इनके तहत राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का पद केवल मुस्लिम नागरिकों के लिए निर्धारित है। इन प्रावधानों में बदलाव के लिए वर्ष 2019 में लाया गया सुधार विधेयक आगे नहीं बढ़ सका। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान में पासपोर्ट बनाने समय नागरिकों को अपना धर्म बताना पड़ता है। इस्लामाबाद में हिंदू मंदिर निर्माण का मामला भी उठाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 में मंदिर निर्माण को मंजूरी मिलने के बाद इस्लामी संगठनों के विरोध के चलते काम रोक दिया गया था।

महिलाओं के अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन का दावा

पाकिस्तान में हर साल एक हजार या उससे अधिक हिंदू और ईसाई महिलाओं तथा लड़कियों का अपहरण होता है। आरोप है कि इनमें से कई का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर अपहरण करने वालों से विवाह करा दिया जाता है। पीड़ितों में गरीब परिवारों की नाबालिग लड़कियां भी शामिल होती हैं, जिन्हें न्याय पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।